

वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2018-कार्तिक 25, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम पूनम से बदलकर नया नाम अभिलाषा रख लिया है। मुझे भविष्य में सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नये नाम अभिलाषा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जाये।

पुराना नाम :

( पूनम )

नया नाम :

( अभिलाषा )

पत्नी श्री भानूप्रताप सिंह तोमर एवं  
भूपेन्द्र सिंह तोमर,  
पता-कीरथपुरा, गोहद चौराहा,  
जिला भिण्ड ( म.प्र. ).

(670-बी.)

#### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, सीमा पारीक पत्नी श्री अनुज पारीक, निवासी लाईन नं. 2, क्वार्टर नं. 33/34, बिरला नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने विवाह उपरांत अपना उपनाम बदलकर सीमा यादव से सीमा पारीक लेख करना आरंभ कर दिया है। अतः भविष्य में मुझे सीमा यादव के स्थान पर सीमा पारीक के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( सीमा यादव )

नया नाम :

( सीमा पारीक )

(672-बी.)

लाईन नं. 2, क्वार्टर नं. 33/34, बिरला नगर,  
ग्वालियर ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन, निवासी-48, गीता कॉलोनी, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर यह घोषणा करता हूँ कि अभी तक मुझे आशीष जैन के नाम से जाना जाता था। मैंने अपना नाम अब आशीष कुमार जैन शुरू कर लिया है। अब भविष्य में मुझे आशीष कुमार जैन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(आशीष जैन)

(673-बी.)

नया नाम :

(आशीष कुमार जैन)

पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन,  
निवासी-48, गीता कॉलोनी, दाल बाजार,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं चन्द्र लाल चोइथ्वानी पुत्र श्री नोतन दास यह कि मेरे पुत्र राम चोइथ्वानी की हाईस्कूल की अंकसूची में मेरा नाम चन्द्र नाथ चोइथ्वानी गलत अंकित है जबकि मेरा सही नाम चन्द्र लाल चोइथ्वानी है। अतः लाल के स्थान नाथ गलत अंकित हो गया है। जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम चन्द्र लाल चोइथ्वानी है।

अतः अब मुझे भविष्य में चन्द्र लाल चोइथ्वानी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(चन्द्र नाथ चोइथ्वानी)

(674-बी.)

नया नाम :

(चन्द्र लाल चोइथ्वानी)

निवासी-संभाजी विलाश कॉलोनी,  
लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

#### ( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-63 ( 1 ) के अधीन )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म ऐम डेव्हलपर्स छिन्दवाड़ा पंजीयन क्रमांक 04/17/01/00022/12, सन् 2012-13 की रचना में दिनांक 15-01-2018 को फर्म के एक पार्टनर श्री प्रमोदकुमार श्रीवास्तव पिता स्व. श्री चेतनलाल श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने से फर्म की रचना में दिनांक 16-03-2018 से परिवर्तन किया गया है। जिसमें अब दो पार्टनर श्री अमित श्रीवास्तव पिता श्री प्रमोदकुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमति निर्मला श्रीवास्तव पति श्री प्रमोदकुमार श्रीवास्तव चालू रहने वाले साझेदार फर्म का व्यापार एवं कार्यभार सम्हालेंगे।

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को फर्म के दोनों पार्टनरों ने अपनी इच्छानुसार फर्म को भंग कर दिया है।

संदीप गुमास्त,

(अधिवक्ता)

प्रियदर्शनी कॉलोनी, छिन्दवाड़ा।

(671)

### विविध

#### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./पुन./2018/1725.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1413, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अंबाडा, जिला बैतूल पंजीयन क्रमांक 1677, दिनांक 01 फरवरी, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था। कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1413, दिनांक 26 जुलाई, 2018 के द्वारा श्री संजय पात्रीकर, उप-अंकेश्वक को परिसमापन नियुक्त किया गया था।

संस्था के परिसमापन द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2018 को आमसभा ली गई। जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है। परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई। तदानुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अंबाडा का अस्तित्व में रहना आवश्यक है।

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1413, दिनांक 26 जुलाई, 2018 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज संचालन हेतु 6 माह के लिये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अंबाडा, जिला बैतूल का निमानुसार प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करता हूँ:-

1. गोवर्धन धोटे	अध्यक्ष	6. श्रीमति मालाबाई	संचालक
2. इन्द्रदेव गीद	उपाध्यक्ष	7. श्रीमति अर्चनाबाई	संचालक
3. कृष्णराव भोपते	संचालक	8. श्रीमति अंबूबाई	संचालक
4. दिलीप गीद	संचालक	9. श्रीमति लताबाई	संचालक
5. संतोष गलफट	संचालक		

यह आदेश आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1258)

बैतूल, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1726.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2017/1005, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पीसाजोडी, जिला बैतूल पंजीयन क्र. 569, दिनांक 29 नवम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत परिसमापक श्री संजय पात्रीकार उप अंकेक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापन के अस्तित्व में बने रहने का कोई ओचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पीसाजोडी, जिला बैतूल पंजीयन क्र. 569, दिनांक 29 नवम्बर, 2006 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

अशोक कुमार शुक्ला,  
उप-पंजीयक।

(1259)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर द्वारा निम सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्र. व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण निमानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पंजीयन	आदेश क्र. व दिनांक
			1	2
1.	अल्पसंख्यक साख सहकारी संस्था इन्दौर	896/15-03-1989		3595/03-09-2016
5.	पुष्पांजली साख सहकारी संस्था, इन्दौर	2119/19-08-2003		3595/03-09-2016

अतः मैं, किशोरीलाल कोरी, सहकारी निरीक्षक, एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तके, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें। बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्डौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

के. एल. कोरी,

सहकारी निरीक्षक।

(1261)

### कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्डौर

इन्डौर, दिनांक 30 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2320.—यह कि कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला इन्डौर के पत्र क्रमांक/अंके/गृहनिर्माण/2017/1258, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 कार्यालय उप आयुक्त को प्राप्त आवक क्रमांक 11376, दिनांक 15 सितम्बर, 2017 द्वारा अकार्यशील/बंद/अंकेक्षण न कराने वाली संस्थाओं को परिसमापन में लाने एवं उनका पंजीयन निरस्ती बाबद पत्र से तृष्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या। इन्डौर जिसका पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 14 फरवरी, 1997 है का प्रस्ताव पंजीयन निरस्ती हेतु प्राप्त हुआ। इस पत्र के अनुसार मेरे द्वारा तृष्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या। इन्डौर को पत्र क्रमांक/पंजीयन/2017/4067, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। जिसका जवाब संस्था प्रशासक श्री विजय दिशोरिया, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को कार्यालय में प्रस्तुत कर लिखा गया कि संस्था का विगत 4 वर्षों का अंकेक्षण लंबित होने के साथ ही संस्था में पूर्व प्रशासक/ प्रभारी श्री जगदीश जलोदिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु दिनांक 03 जून, 2017 को कार्यालय में पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। कारण बताते हुए लिखा था कि संस्था में दिनांक 31 मार्च, 2017 को मात्र 08 सदस्य ही शेष रहे हैं एवं संस्था के पास कोई भूमि/भवन शेष नहीं है का पत्र प्रस्तुत कर संस्था को परिसमापन में लाने के लिए लिखा गया है एवं वर्तमान प्रशासक/प्रभारी अधिकारी श्री विजय दिशोरिया, उप अंकेक्षक द्वारा भी उक्त के आधार पर संस्था को परिसमापन की अनुशंसा की है। कारण बताओ पत्र के जवाब के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत तृष्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या। इन्डौर के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/4437/ इन्डौर, दिनांक 25 नवम्बर, 2017 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव उप अंकेक्षक को तृष्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या। इन्डौर का परिसमापक नियुक्त किया गया। उक्त परिसमापन आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार भोपाल से शुक्रवार दिनांक 05-01-2018 को प्रकाशित किया गया है। आदेशानुसार परिसमापक द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2017 को संस्था का पदभार ग्रहण करने की सूचना कार्यालय को प्रस्तुत की एवं दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को परिसमापक द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत दैनिक समाचार पत्र पारिवारिक दस्तक इन्डौर से प्रकाशित कराई जाकर एक माह के अन्दर दावे आपत्ति चाहे गये। समयसीमा में कोई भी दावे आपत्तियां प्राप्त नहीं हुए। दिनांक 30 अप्रैल, 2018 को परिसमापक द्वारा संस्था के उपनियम क्रमांक 015, के अन्तर्गत संस्था की लेनदारी एवं देनदारियों का निराकरण कर वित्तीय पत्रक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला इन्डौर को दिनांक 25 मई, 2018 को प्रस्तुत कर दिये गये। संस्था की साधारण सभा की सूचना परिसमापक द्वारा दैनिक समाचार पत्र इन्डौर, समाचार पत्र में दिनांक 13 मई, 2018 को प्रकाशित की गई एवं साधारण सभा दिनांक 27 मई, 2018 को की गई जिसमें संस्था का पंजीयन निरस्त कराने की कार्यवाही पर विचार कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई। परिसमापक द्वारा परिसमापन की विधिवत सम्पूर्ण कार्यवाही उपरान्त कार्यालय को दिनांक 30 मई, 2018 को अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कक्ष द्वारा परीक्षण उपरान्त स्पष्ट है कि संस्था की कोई भी लेनदारी-देनदारी शेष नहीं है और न ही कोई भी दावे आपत्ति परिसमापक को परिसमापन की कार्यवाही के दौरान प्राप्त हुए हैं। परिसमापक एम. एम. श्रीवास्तव, उप अंकेक्षक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन के साथ संस्था के अभिलेख मय सूची के इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये हैं। संस्था की लेनदारी-देनदारी निराकरण किया जाकर संस्था का वर्ष 2017-2018 का अंकेक्षण परिसमापक द्वारा संस्था अंकेक्षक श्री जगदीश बिंचीं, सहकारी निरीक्षक से कराया गया जिसकी अंकेक्षण टीप सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला इन्डौर द्वारा शून्य बैलेन्सशीट की पारित की गई है। संस्था में अन्य कोई कार्य शेष न होने एवं संस्था जिस उद्देश्य से पंजीकृत की गई थी उसका उद्देश्य पूर्ण होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्डौर को प्रदत्त की गई है का प्रयोग करते हुए मैं, के. पाटनकर, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला इन्डौर, तृष्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या। इन्डौर पंजीयन क्रमांक/डी.आर/आय.डी.आर./655, दिनांक 14 फरवरी, 1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. पाटनकर,

उप-रजिस्ट्रार।

(1263)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2018-कार्तिक 25 शके 1940

### भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

##### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 6 जून, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील राधोगढ़, बम्हौरी (गुना) छतरपुर, बिजावर (छतरपुर) खुरई, सागर, रहेली, देवरी (सागर) पथरिया (दमोह) रघुराजनगर, अमरपाटन, मैहर (सतना) सिरमौर, हुजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा) ब्यौहारी, बुढ़ार, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल) कोतमा, जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर) मझोली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी) चितरंगी (सिंगराली) उज्जैन (उज्जैन) देवास, बागली, कन्नोद, हाटपिलिया, खातेगांव (देवास) कुच्छी, गंधवानी, डही, (धार) देपालपुर (इन्दौर) महेश्वर, गोगांव, कसरावद, भीकनगांव (खरगौन) बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, पाटी (बड़वानी) खण्डवा, पंधाना, हरसूद (खण्डवा) राजगढ़ ब्यावरा (राजगढ़) सिरोंज (विदिशा) आष्ट्य, नसरुल्लागंज, रेहटी (सीहोर) रायसेन, गेरतंगज, बेगमगंज, सिलवानी, बाडी (रायसेन) जबलपुर, सीहोरा, पाटन, मझोली, पनागर (जबलपुर) भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, चिचोती, मुल्लाई, आठनेर (बैतूल) नरसिंहपुर, करेली, (नरसिंहपुर) मण्डला, बिछिया, निवास, नारायणगंज (मण्डला) डिण्डोरी (डिण्डोरी) तामिया, परासिया, अमरवाडा, मोहखेड़ा, हरई, चांद (छिन्दवाड़ा) सिवनी लखनादौन (सिवनी) बालाघाट, बारासिवनी, विरसा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि.मी से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील, अशोकनगर (अशोकनगर) सोहागपुर (शहडोल) पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) गोपदबनास, सीधी, सिंगराली, (सिंगराली) खाचरौद, महिदपुर, नागदा (उज्जैन) सोनकच्छ, उदयनगर (देवास) जोकट (अलीराजपुर) इन्दौर, महूअम्बेडकरनगर (इन्दौर) सेगांव, भगवानपुर, झिरन्या (खरगौन) पानसेमल (बड़वानी) बैतूल (बैतूल) बजाग (डिण्डोरी) छिन्दवाड़ा, उमरेठ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि.मी से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील देवसर (सिंगराली) धार (धार) खरगौन बड़वाह (खरगौन) सेंधवा (बड़वानी) पुनासा (खण्डवा) सौंसर, पांडुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि.मी से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील बरला, निवाली, (खण्डवा) बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई:- जिला पन्ना, दमोह, सिंगराली, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, बैतूल, छिन्दवाड़ा व सिवनी, बालाघाट में कहीं-कहीं पर जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी:- जिला भोपाल, बड़वानी, सिवनी, बालाघाट में कहीं-कहीं पर बोनी चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

**4. फसल स्थिति:-**

..

**5. कटाईः-** जिला जबलपुर में उड़द मूंग एवं होशंगाबाद में मूंग की कटाई चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

**6. सिंचाईः-** जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

**7. पशुओं की स्थिति:-**

..

**8. चारा:-** जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त तथा राज्य के जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

**9. बीजः-** राज्य के समस्त जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

**10. खेतिहर श्रमिकः-** राज्य के समस्त जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 6 जून, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती है। (द) खड़ी फसल पर रोप व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित。 (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	.. .. .. .. .. ..				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	.. .. .. .. ..				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रैनमिहोना 7. गोरमी 8. मौ	.. .. .. .. .. .. .. ..				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनार 5. घाटीगांव	.. .. .. .. ..				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्द्रगढ़ 4. बढ़ोनी 5. भाण्डेर	.. .. .. .. ..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. कैरेरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बद्रखास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. इसागढ़	..				
3. अशोकनगर	25.0				
4. चन्द्रेरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	3.0				
3. बमोरी	3.0				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देक्वगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	1.2				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	2.0				
7. बड़ामलहरा	..				
8. महाराजपुर	..				
9. चंदला	..				
10. धुवारा	..				
11. लवकुश नगर	..				
12. बक्सवाहा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b> 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. रेपुरा 6. अमानगंज 7. देवेन्द्र नगर 8. सिमरिया 9. शाहनगर	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>12. जिला सामगर :</b> 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सामगर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	मिलीमीटर .. 12.4 .. 10.0 5.0 5.0 .. .. .. .. ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>13. जिला दमोह :</b> 1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	मिलीमीटर .. .. .. 8.0 .. .. ..	2. जुताई कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>14. जिला सतना :</b> 1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-(बघेलान) 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर	मिलीमीटर 3.00 .. .. .. .. .. 5.0 .. 2.0 .. ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>15. जिला रीवा :</b> 1. त्याँथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नईगढ़ी 11. रायपुर(कर्चुलियान)	मिलीमीटर .. 12.2 .. .. 11.9 2.0 .. .. .. .. 4.0	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोलः</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहगापुर	19.0				
2. ब्यौहारी	2.0				
3. जैसिहनगर	..				
4. बुढार	2.0				
5. गोहपारू	9.0				
6. जैतपुर	15.0				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	9.2				
2. अनूपपुर	4.2				
3. कोतमा	11.9				
4. पुष्पराजगढ़	20.5				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. चांदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	18.6				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	1.0				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	4.0				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	2.3				
<b>20. जिला सिंगराली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	15.1				
2. देवसर	39.6				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगराली	27.8				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासगटप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. दलोदा	..				
9. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b> 1. जावद 2. नीमच 3. सिंगौली 4. जीरन 5. रामपुर 6. मनासा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. ..	2 जुताई कार्य चालू है।	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>23. जिला रत्लाम :</b> 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. ताल 6. रावटी 7. पिपलोदा 8. रत्लाम	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. ..	2 ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>24. जिला उज्जैन :</b> 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर 23.0 20.0 .. .. 5.0 .. 55.0	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>25. जिला आगर :</b> 1. बड़ौदा 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर .. .. .. ..	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. .. 8. पर्याप्त.
<b>26. जिला शाजापुर :</b> 1. मोमनबड़ौदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. पोलाय कलां 6. अबंतीपुर बड़ौदिया 7. गुलाना	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. ..	2 जुताई कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं. 4.(1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>27. जिला देवास :</b> 1. सोनकच्छ 2. टांकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. हाटपिपल्या 7. सतवास 8. उदयनगर 9. खातेगांव	मिलीमीटर 45 .. 16 9 13 3 .. 54 5	2 ..	3. कोई घटना नहीं. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झावुआ :</b> 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झावुआ 5. राणपुर	मिलीमीटर .. .. .. .. ..	2. जुताई कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) कपास, तुअर, चना, गेहूँ समान (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b> 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाडा 4. सोंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर 18.8 .. .. .. .. .. ..	2. ..	3. .. 4. (1) चना, मक्का अधिक. गेहूँ कम (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>30. जिला धार :</b> 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर .. .. 38.2 10.0 .. .. 1.0 2.0	2. जुताई कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>31. जिला इन्दौर :</b> 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. हातोद 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर 4.0 .. 17.80 .. 27.0	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>32. जिला खरगौन :</b> 1. बडवाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगाव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर 42.0 11.0 28.0 48.5 11.0 14.0 22.2 7.0 .. 33.2	2. जुताई कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>33. जिला बड़वानी :</b> 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली	मिलीमीटर 12.0 3.0 1.0 38.0 33.0 11.0 .. 63.0 111.0	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	6.0				
2. पुनासा	37.0				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	1.5				
5. हरसूद	4.0				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	2.2				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. व्यावरा	5.6				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	13.0				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटरेन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठरी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. बैरागड़	..				
3. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	12.0				
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	14.0				
5. रेहटी	2.0				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	14.0				
2. गैरतगंज	2.0				
3. बेगमगंज	14.0				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	13.4				
7. बाड़ी	2.5				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	31.6				
2. भैंसदेही	2.0				
3. घोड़ाडोंगरी	12.2				
4. शाहपुर	..				
5. चिंचोली	4.3				
6. मुल्लाई	8.2				
7. आठनेर	6.0				
8. आमला	..				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. मूँग की कटाई कार्य.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..				
2. सिवनी-मालवा	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	..				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हर्डिया	..				
6. टिमरनी	..				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. उड़द, मूँग की कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	2.0				
2. कुण्डम	..				
3. सीहोरा	12.6				
4. पाटन	3.6				
5. मझौली	5.1				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	12.0				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..				
2. ढीमरखेड़ा	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. 4.(1) (2)	.. ..
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	7.0 .. 5.0 .. ..			5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2	..	3. 4.(1) (2)	.. .. ..
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	13.4 .. 5.2 5.0 06 ..			5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
48. जिला डिणडोरी :	मिलीमीटर	2.	..	3. 4.(1) (2)	.. .. ..
1. डिणडोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	4.5 .. 33.2			5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	जुताई कार्य चालू है.	3. 4.(1) (2)	.. .. ..
1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. ई(जुनारदेव) 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चाद 13. पांढुरा	33.2 5.0 3.5 .. 40.0 58.0 3.2 .. 23.0 3.6 1.0 11.0 39.0			5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. 4.(1) (2)	.. .. ..
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. केवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसार	5.8 .. .. .. 3.7 .. .. ..			5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. 4.(1) (2)	.. .. ..
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलांजी	2.6 .. .. .. 1.0 .. .. .. .. 16.0 ..			5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भ-अधिलेख, मध्यप्रदेश.

(1262)